वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 06.07.2025

सिकरौल में अवैध निर्माण सील

वाराणसी। सिकरौल क्षेत्र स्थित मीरापुर बसही, खुशहाल नगर कॉलोनी में वीडीए ने एक अवैध निर्माण को सील कर दिया। इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में अनिल सिंह बिना स्वीकृत नक्शे के पहले भूतल की छत डाली गई थी। निर्माण को सील कर दिया गया है। संवाद

दैनिक जागरण—दि0 06.07.2025

वीडीए ने भेजी उंदी ताल की डीपीआर, कैबिनेट में जल्द लगेगी मुहर

जेपी पांडेय • जागरण

78.5 एकड़ के उंदी ताल में बनेगा इको टूरिस्ट स्पाट

- पर्यटकों की सुविधा, हरियाली और जल संचयन पर ज्यादा जोर
- पर्यटन हब होने के साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

वाराणसी : हरहुआ स्थित उंदी ताल में प्रस्तावित इको टूरिस्ट स्पाट (सिटी फारेस्ट) के सुंदरीकरण को लेकर 29.53 करोड़ रुपये की ड्राफ्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेज दी है। यहां डीपीआर का परीक्षण किया जा रहा है जिससे कैबिनेट की बैठक में रखा जा सके। विकास प्राधिकरण ने कंसल्टेंट प्लानर इंडिया को तय करने के साथ डीपीआर बनाने को कहा था। वीडीए प्रशासन का मानना है कि इस माह कैबिनेट में मुहर लगने के साथ बजट मिल जाएगा। उसके साथ ही टेंडर कर दिया जाएगा। हालांकि, वीडीए ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। एक एजेंसी के जरिए वीडीए उंदी ताल से मिट्टी निकलवा रहा है, यह मिट्टी किसानों को दी जा रही है जिससे वह अपने खेत को समतल करने के साथ खाद युक्त मिट्टी डालकर उपजाऊ बना सकें।

उंदी ताल पर आसपास के लोगों का कब्जा था। जिला प्रशासन से उंदी ताल और आसपास की 78.5 एकड़ जमीन लेने के साथ वीडीए ने काफी मशक्कत कर कब्जा लिया था। वीडीए ने 3.20 करोड़ से उंदी ताल की लोहे की जाली से घेराबंदी की गई है। इसके अलावा अन्य काम भी कराया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और बजट नहीं होने पर वीडीए प्रशासन ने तत्कालीन मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के समक्ष समस्या रखी थी। उन्होंने पर्यटन विभाग से उंदी ताल का सुंदरीकरण कराने का निर्णय लिया। वीडीए ने दिल्ली की एजेंसी आधारशिला से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाकर शासन को भेजा। पर्यटन विभाग ने सहमति जताते हुए 24.95 करोड़ रुपये पर मुहर लगा दी। वीडीए बजट आने का इंतजार कर ही रहा था कि पर्यटन विभाग ने यूपीपीसीएल को काम दे दिया है। इस पर वीडीए ने काम कराने से साफ मना कर दिया था। उंदी ताल पर्यटन हब होने के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 29.53 करोड़ रुपये में उंदी ताल का सुंदरीकरण कराया जाएगा। मुख्यालय ने योजना पर मुहर लगाते हुए डीपीआर मांगा था। ड्राफ्ट डीपीआर भेज दिया गया है। कैबिनेट में मुहर लगने साथ बजट जारी कर दिया जाएगा।

-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

यह होगी सुविधाएं

- मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड हाउस, शौचालय, दो व चार पहिया और बस पार्किंग, टिकट घर, रैंटल साइकिल क्षेत्र तथा गोल्फ कोर्ट क्षेत्र विकसित होगा।
- बोटिंग क्षेत्र के अंतर्गत बोटिंग लेक व क्लब हाउस।
- ईको पार्क में साइकिल व पेडेस्ट्रियन ट्रैक, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, ओपेन जिम।
- बुद्धा थीम पार्क में 4.37 एकड़ भूमि पर बौद्ध दर्शन पर आधारित लैंडस्केप के साथ औषधीय पौधा युक्त बोटेनिकल गार्डन, ध्यान स्थल एवं तालाब आदि।
- सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन, बर्ड सेंक्चुरी होगी।

दैनिक जागरण–दि0 06.07.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि सिकरौल वार्ड के खुशहाल नगर कालोनी में अनिल सिंह बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कर रहे थे। अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था, फिर भी निर्माण बंद नहीं हुआ। उक्त निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 06.07.2025

जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी सम्पादित

वाराणसी। वार्ड-सिकरौल, मीरापुर बसही, खुशहाल नगर कालोनी के अन्तर्गत अनिल सिंह, द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए

लगभग 22×60 वर्गफीट में भूतल का छत डालकर प्रथम तल पर पिलर व दीवाल का निर्माण किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। तदक्रम में निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के उपरान्त भी फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर शनिवार को स्थल सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 06.07.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल, मीरापुर बसही, खुशहाल नगर कालोनी के अन्तर्गत अनिल सिंह, द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 2260 वर्गफीट में भूतल का छत डालकर प्रथम तल पर पिलर व दीवाल का निर्माण किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। तदक्रम में निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के उपरान्त भी फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर आज दिनांक 05.07.2025 को स्थल सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।